झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक :- 29 फाल्गुन, 1941 (श0) / 19 मार्च, 2020 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगें :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
114.	अ0सू0-21	श्री राज सिन्हा	प्रोन्नति देना।	जल संसाधन	13.03.20
115.	अ0सू0-11	डॉ0 लम्बोदर महतो	बिजली उपलब्ध कराना।	ऊर्जा विभाग	28.02.20
116.	अ0सू0-22	कुशवाहा (डॉ0) शशि भूषण मेहता	जाँच एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य।	जल संसाधन	14.03.20
117.	अ0सू0-09	डॉ0 लम्बोदर महतो	राशन कार्ड निर्गत कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	28.02.20

रॉंची,
दिनांक- 19 मार्च, 2020 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-1082 /वि0स0,रॉंची,दिनांक- 16/3/20

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/3/2020
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः- झा०वि०स०(प्रश्न)-05/2020-1082/वि०स०,राँची,दिनांक- 16/3/20

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/3/2020
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-05/2020-1082/वि०स०,राँची,दिनांक- 16/3/20

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा,वेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/3/2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

16.03.20

(114)

श्री राज सिन्हा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं.–21 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के 52 पद वर्ष 2019 से रिक्त है, जिसमें स्वीकृत रौस्टर के अनुसार अनुसूचित जन जाति के 27 एवं सामान्य कोटि के 25 पद स्वीकृत है;	– स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक 08.08.2019 को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति बैठक सम्पन्न हुई थी ;	– स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विभागीय प्रोन्नति समिति बैठक दिनांक 20.01.2020 एवं 24.01.2020 को निर्धारित हुई थी परन्तु स्थगित कर दी गई;	– स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण भू–गर्भ जल पुर्नभरण River Linking आदि महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के अधार पर आगे बढ़ाने का निर्देश है, परन्तु अभियंता की कमी है ;	कोई टिप्पणी नहीं।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक कर कार्यपालक अभियंता के पदों को प्रोन्नति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2020–21 में इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक–6/ज0स0वि0–10–अ0सू0–03/2019 :– 2155 /राँची, दिनांक :– 17.03.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1035, दिनांक–13.03.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

(देवेन्द्र कुमार)
सरकार के अवर सचिव

[illegible] Edit.docx

115

डा० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डा० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन पीक आवर में 2400 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है, जबकि राज्य के 68 लाख घरों में 24x7 बिजली उपलब्ध कराने हेतु पाँच हजार मेगावाट बिजली की अवश्यकता है;	वर्तमान में राज्य को लगभग 2500 मेगावाट बिजली का आवंटन है जो निम्नवत है :– NTPC : 621 MW NHPC : 70 MW PTC : 155 MW DVC : 700 MW TVNL : 420 MW APNRL : 189 MW Inland Power : 63 MW Sikidri : 130 MW ABCIL : 11 MW Rungta : 04 MW Wind Power : 300 MW Solar Power : 26 MW कुल (लगभग) : 2625 MW उपरोक्त आवंटन के विरूद्ध झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की माँग लगभग 2100 मेगावाट की रहती है। राज्य के 68 लाख घरों में 24x7 बिजली उपलब्ध कराने हेतु 4000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष 2600 मेगावाट बिजली की उपलब्धता हेतु योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	शेष बिजली की उपलब्धता के लिए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने निम्नलिखित स्रोत से विद्युत ऊर्जा उपलब्धता हेतु एकरारनामा किया है:- Wind Power : 200MW Solar Power : 700MW PUVNL, Patratu : 3400MW North Karnpura : 500MW कुल (लगभग) : 4800MW

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 533 / दिनांक 12/3/20

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/20

सरकार के अवर सचिव

माननीय स०वि०स० श्री कुशवाहा (डॉ०)शशि भूषण मेहता द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में "मलय जलाशय योजना" के अंतर्गत मलय मुख्य नहर लेस्लीगंज शाखा नहर एवं वितरण प्रणालिका से नहर पक्कीकरण का काम "KCPL" कंपनी के द्वारा किया जा रहा कार्य जारी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कंपनी के द्वारा पक्कीकरण के काम में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है;	घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप की पुष्टि अभियंताओं के निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं हुई है।
3.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों द्वारा समय–समय पर उपायुक्त को आवेदन समर्पित करने के बावजूद भी कंपनी के प्रभावशाली होने के कारण आज तक कोई जांच नहीं हुआ और न ही संवेदक के द्वारा डी०पी०आर० के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार किया गया;	समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाता रहा है। अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, मेदिनीनगर दिनांक 27.02.2020 को एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा दिनांक 23.07.2018, दिनांक 20.05.2019 तथा दिनांक 07.12.2019 को स्थल निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियंता प्रमुख–1, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा भी दिनांक 10.12.2019 को उक्त कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया है।
4.	क्या यह बात सही है कि एक तरफ से नहर के पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है दूसरी तरफ से पक्कीकरण टूटता जा रहा है.	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जांच कराकर प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इसकी जाँच करा ली जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:–6/सत्र वि०-10-अ०सू०-04/2020- 2162 राँची, दिनांक– 18.03.2020

प्रतिलिपि – अपर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–1037 दिनांक–14.03.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/3/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० लम्बोदर महतो,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 मे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 11.50 लाख राशन कार्डधारियों का कार्ड रद्द कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2017 मे विभिन्न कारणो से कुल 3,59,793 राशन कार्डो को रद्द किया गया है। इनमें अन्त्योदय राशनकार्ड की संख्या 38,636 तथा पूर्व विक्ता प्राप्त राशनकार्ड की संख्या– 3,21,157 है। वर्ष 2017 मे विभिन्न कारणों तथा उस कारणवश रद्द किये गये राशनकार्डों की विवरणी निम्नवत् है :–

कारण	अन्त्योदय राशन कार्ड	पूर्व विक्ता प्राप्त राशन कार्ड
डूप्लिकेट राशन कार्ड	12464	101328
राशन कार्डधारी की मृत्यु	4766	40488
राशन कार्ड का सरेण्डर	18299	157321
डूप्लिकेट यू०आई०डी०	3107	22020
कुल	38636	321157

प्रश्न	उत्तर
(2) क्या यह बात सही है कि जे–पॉल नामक संस्था के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार रद्द किये गये 11.50 लाख राशन कार्ड में से लगभग 10 लाख राशन कार्ड फर्जी नहीं थे;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2016–17 में जे–पॉल नामक संस्था द्वारा राज्य के 10 जिलो के 132 ब्लॉक में सर्वेक्षण किया गया था। इस संबंध में जे–पॉल के Co-Chair श्री कार्तिक मुरलीधरन द्वारा दिनांक 17.02.2020 को ट्विटर पर दिये गये रिपोर्ट के अनुसार उनके सर्वे में सम्मिलित 3,901 सैम्पल परिवारों में से यह पाया गया कि उनमें से 213 कार्ड जो कैंसिल किये गये थे उनमें से केवल 26 ही फर्जी थे। जे–पॉल द्वारा अपना विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित नहीं किया गया है। जिससे किसी नतीजे पर पहुँचा जा सके।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो 10 लाख वास्तविक कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का क्या औचित्य है तथा प्रभावित व्यक्तियों को राशन कार्ड निर्गत करने हेतु कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा समय–समय पर राशन कार्ड निर्माण हेतु जिला को निर्देशित किया जाता रहा है। रिक्तियों के आधार पर जिला द्वारा राशन कार्ड निर्माण का कार्य किया जाता है।

ह०/–
(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06 (वि०स०)–14/2020– 735 /राँची, दिनांक 17/03/20

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–430/वि०स०, दिनांक 28.02.2020 के क्रम मे 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।